पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0:— 13/2024

1 पवन कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिबी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राकेश कुमार पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

2 राजवन्ती पत्नी राकेश कुमार जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3 एकता पुत्री राकेश कुमार पत्नी सुशील कुमार जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 27/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:—चक न० 4 के. एच. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 85/79 में दर्ज 2.3400 हे. में 1/2 हिस्सा का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न04 के. एच. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 85/79 में प्रतिवादी स0 1 राकेश कुमार का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।